

RCMS
209/00020

08

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

निर्दिष्ट
6/8/19

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

सिणधरी

बनाम

जवाननाथ वल्लभ देवकारनाथ काम
कालबेलिया सिणधरी चोलीरा

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. न. 08 सन/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/7/19	<p>पटवारी हल्का.....<u>सिणधरी</u>..... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2076 में मौजा <u>सिणधरी</u> के खसरा संख्या <u>61</u> रकबा <u>0-03</u> किस्म भूमि <u>गोचर</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर का कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>06/8/19</u> को वमुकाम सिणधरी पेश हो।</p>	
6/8/2019	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। गैर सायल भुनपल्लि पटवारी हल्का उपलक्षित। नोटिस नमिलने के बावजूद भुनपल्लि। गैर सायल का भतिक्रमण मानते हुए पत्रावली फेरसल सुगत है। निर्णय अलग से लिखा जाकर प्रस्तुत है। पत्रावली फेरसल सुगत होकर नंबर लेकन होकर, अखिल दफतर है।</p>	<p>तहसीलदार सिणधरी</p> <p>6/8/2019</p>

तहसीलदार सिणधरी

तहसीलदार सिणधरी
वि. न. न. न.